भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2714

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2025

अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए सहायता

2714. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की सहायता से वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एसीएसपी) सहित अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए वितरित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर इन योजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहित 38 मंत्रालयों/विभागों में ऐसी 229 योजनाएं (2025-26 में) हैं (2024-25 में 39 मंत्रालयों/विभागों में ऐसी 243 योजनाएं थीं); जिनके अंतर्गत दादरा और नगर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र सहित पूरे भारत में अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए निधियों का आवंटन किया जाता है। ये आवंटन नीति आयोग के अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)/अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) दिशानिर्देश 2017 के अनुसार किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं योजनाओं के लिए प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है। है। इन योजना दिशानिर्देशों में तृतीय पक्षकार द्वारा नियमित आकलन/मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान है और योजना को आगे जारी रखने के लिए ऐसी मूल्यांकन रिपोर्टों की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती हैं।

संलग्नक-I

अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए सहायता के संबंध में श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2714, जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.637	1.4636	0.2011	0.0386	2.8613
2	आंध्र प्रदेश	2,388.2355	3,191.7105	3,992.5867	3,074.8348	2,953.9731
3	अरुणाचल प्रदेश	70.9105	53.7818	29.0685	65.9982	230.5932
4	असम	1,293.1102	1,805.6318	2,057.9350	2,384.1572	3,672.0465
5	बिहार	3,337.3531	5,055.7490	7,805.0808	5,686.0822	5,858.8581
6	चंडीगढ़	65.6659	31.4651	23.6562	27.3918	33.7904
7	छतीसगढ	948.5209	1,851.3848	2,433.3933	2,296.3724	3,749.2308
8	दिल्ली	4,838.6901	11,560.6492	21,970.2863	31,742.6836	23,038.2250
9	गोवा	23.376	143.4257	240.7182	292.9172	256.8385
10	गुजरात	1,183.0319	2,019.0797	2,648.6109	2,003.7498	1,498.8994
11	हरियाणा	634.2836	1,128.4163	1,856.1726	2,207.9592	2,763.0853
12	हिमाचल प्रदेश	891.0728	1,580.6913	1,411.1228	967.5463	1,357.4175
13	जम्मू-कश्मीर	487.2197	492.8439	757.4425	942.0391	512.368
14	झारखंड	906.4377	1,514.0016	1,791.1418	1,713.8837	1,538.4087
15	कर्नाटक	2,284.9596	3,550.0748	4,771.1948	4,585.8794	2,893.5384
16	केरल	649.3705	1,742.7848	2,197.4447	1,590.4769	1,559.6480
17	लद्दाख	0.7819	1.022	0.5003	1.3086	3.2254
18	लक्षद्वीप	0.0875	0.447	0.1356	0.0017	0.0078
19	मध्य प्रदेश	3,559.1024	7,452.4574	6,315.9780	7,173.0105	5,783.5690
20	महाराष्ट्र	6,645.1710	5,589.9357	9,356.6758	8,259.6190	8,886.6717
21	मणिपुर	277.384	110.4213	133.2655	145.7598	258.1903
22	मेघालय	148.044	66.8953	89.8785	170.892	149.0867
23	मिजोरम	82.5705	30.3979	18.79	58.1888	62.0498
24	नागालैंड	143.1551	67.9299	77.5838	41.2177	22.3202
25	ओडिशा	2,201.6009	3,449.6744	3,223.7229	4,032.9569	2,777.6010
26	पुदुचेरी	36.0718	36.5031	31.5285	60.6715	48.3046
27	पंजाब	955.3734	1,595.3250	1,429.2583	1,561.8485	2,115.3964
28	राजस्थान	3,148.0179	6,202.9911	7,774.1445	5,973.1954	5,892.4693
29	सिक्किम	33.0924	32.836	32.1541	53.9656	69.4928
30	तमिलनाडु	2,571.9562	5,602.7371	5,737.3638	7,231.9642	4,427.2368
31	तेलंगाना	1,124.8454	4,350.9204	4,728.0062	4,655.8957	4,309.5218
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.2824	1.3273	3.2866	1.7801	2.38
33	त्रिपुरा	341.3254	647.4078	519.5245	773.164	500.8084
34	उत्तर प्रदेश	10,235.3934	15,479.1837	16,755.3640	19,722.1975	17,474.7092
35	उत्तराखंड	756.457	961.0011	1,150.7603	1,500.7324	944.721
36	पश्चिम बंगाल	3,999.2709	5,143.9384	5,934.4179	4,471.5384	4,717.7598
	कुल	**60,964.0803**	**115,897.2867**	**131,356.2103**	**125,471.9187**	**110,365.3042**

*****